स्पाइसेस बोर्ड

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)

सुगंध भवन, एनएच बाई पास,

पालारिवट्टम पी ओ, कोच्ची - 682025

टेली: 0484-2333610 से 616 तक

<u>स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाता सहायक(स्थापना व इंजीनियरिंग) के रूप में सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को काम में लगाना</u>

स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय, कोच्ची में एक वर्ष की अवधि के लिए संविदा आधार पर परामर्शदाता सहायक(स्थापना व इंजीनियरिंग) के रूप में काम में लगाने के वास्ते सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों से, जिन्होंने केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्त निकायों / वस्तु बोर्डों में सेवा की है, स्पाइसेस बोर्ड आवेदन आमंत्रित करता है। काम में लगाने के विस्तृत निबंधन व शर्तें अनुबंध-1 के रूप में संलग्न किए गए हैं। पात्रता मानदंड व अन्य विवरण नीचे दिए जाते हैं:

1	अपेक्षित परामर्शदाता सहायक	एक (स्थापना व इंजीनियरिंग)
2	पात्रता अनिवार्य :	1. उन्हें इंजीनियरिंग/निर्माण/रखरखाव/प्रशासन(स्थापना) कार्य में सेवा करने के पर्याप्त अनुभव के साथ, केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों / सार्वजनिक उपक्रमों / स्वायत्त निकायों/ वस्तु बोर्डों से अनुभाग अधिकारी (वेतन मेट्रिक्स के लेवल 7) या उससे ऊपर के स्तर से सेवानिवृत्त कर्मचारी होना चाहिए । 2. विषयों की गहन जांच के लिए उसके पास प्रभावी अभिव्यक्ति कुशलता और पारस्परिक कौशल होना चाहिए । 3. उसे एमएस ऑफिस / ओपन ऑफिस, ई-मेइल और इंटरनेट के साथ कंप्यूटर का उपयोग करने में अनुभव होना चाहिए।
	वांछनीय:	सिविल इंजीनियरिंग गतिविधियों में पूर्ण ज्ञान और अनुभव, जैसे सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार कार्य अनुमान / प्रस्ताव / माप पत्र / बिल आदि तैयार करना।
3	शैक्षिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री
4	आयु सीमा	आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को 64 वर्ष से कम
5	कार्य का स्थान	स्पाइसेस बोर्ड, मुख्यालय, कोच्ची
6	पारिश्रमिक	30,000/- रुपए प्रति माह
7	प्रमुख जिम्मेदारियाँ	I) दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में प्रशासन [स्थापना]/इंजीनियरिंग

		अनुभाग की सहायता करना ii) सरकार के दिशानिर्देश/डीएसआर प्रारूप के अनुसार अनुमान / प्रस्ताव / माप पत्र / बिल आदि तैयार करना। iii) कार्यों के समय पर निष्पादन के लिए विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय
8	आवेदन	पात्र उम्मीदवार नीचे दिए लिंक के ज़रिए अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं: https://forms.gle/erDGvQjUspMgjQR79
9	चयन का तरीका	शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को बोर्ड द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार में योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का एक पैनल बनाया जाएगा और बोर्ड की अपेक्षा के अनुसार परामर्शदाता सहायक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। पैनल की वैधता दो वर्ष की होगी और परामर्शदाता सहायकों, यदि कोई अतिरिक्त आवश्यक हो, को अनुमोदित पैनल से नियुक्त किया जाएगा।
10	आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	20 अक्तूबर, 2021

उम्मीदवारों को निर्देश:

1. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के समय आयु और योग्यता के संबंध में सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा और उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
2. आयु, अनुभव और अन्य सभी निर्धारित योग्यताओं की गणना आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के आधार पर की जाएगी।
3. स्पाइसेस बोर्ड चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में तारीख और समय को फिर से निर्धारित करने का अधिकार रखता है।
4. सचिव, मसाला बोर्ड बिना कोई कारण बताए या नोटिस दिए इस विज्ञापन में किसी भी संशोधन, रद्दीकरण और परिवर्तन का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अद्यतन जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट **www.indianspices.com** में अधिसूचना/अवसर की जांच करें और तीसरे पक्ष की वेबसाइटों की जानकारी पर भरोसा न करें।
6. चयनित उम्मीदवार को 200/- रुपये के स्टांप पेपर में एक समझौता करना होगा।

स्थान-कोच्ची **निदेशक(प्रशासन)**

दिनांक: 05 अक्तूबर, 2021

अनुबंध- I

स्पाइसेस बोर्ड में परामर्शदाता सहायक(स्थापना व इंजीनियरिंग) को काम में लगाने हेतु निबंधन व शर्तें

1. परामर्शदाता सहायक केलिए देय पारिश्रमिक 30,000/- रुपए प्रति महीना (स्थिर) होगा। परामर्शदाता सहायक द्वारा आहरित मासिक पारिश्रमिक तथा पेंशन, उनके द्वारा ली गई अंतिम वेतन, जिसकी गणना महंगाई भत्ते की वर्तमान दरों पर की गई हो, से अधिक नहीं होंगे।
2. काम में लगाने की अवधि प्रारंभ में एक वर्ष केलिए होगी और उनके निष्पादन के आधार पर अपेक्षा के अनुसार आगे एक और वर्ष केलिए बढ़ाई जा सकती है।
3. परामर्शदाता सहायक, महंगाई भत्ता, परिवहन सुविधा, आवासीय व्यवस्था, निजी स्टाफ, सीजीएचएस तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि जैसे किसी भी प्रकार के भत्ते या आवास-सुविधा प्राप्त होने के हकदार नहीं होंगे।
4. साक्षात्कार, कार्य में शामिल होने या इसके पूरा होने के लिए कोई यात्रा भत्ता / महंगाई भत्ता ग्राह्य नहीं होगा। फिरभी, यदि बोर्ड के कार्यालयीन काम के सिलसिले में, उन्हें देश के अंदर यात्रा करना अपेक्षित है तो, जिस ग्रेड से वे सेवानिवृत्त हुए थे, उसी ग्रेड के नियमित पदाधिकारी केलिए ग्राह्य यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का, सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, भुगतान किया जाएगा।
5. कार्य समय: परामर्शदाता सहायक निर्धारितानुसार कार्यालय के साधारण कार्य समय का अनुसरण करेगा (अर्थात् सुबह 9.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक)। वैसे, अनिवार्य मामलों में, उनको समयबद्ध कार्य को पूरा करने के लिए शनिवार और कार्यालय समय के बाद भी काम करना पड़ सकता है।
6. पेंशन का आहरण: परामर्शदाता सहायक के रूप में नियुक्त एक सेवानिवृत्त सरकारी पदाधिकारी, परामर्शदाता सहायक के रूप में अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान पेंशन और पेंशन पर महंगाई राहत आहरित करना जारी रखेगा। परामर्शदाता सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति को पुनर्नियोजन के मामले के रूप में नहीं माना जाएगा।
7. अवकाश: परामर्शदाता सहायक एक कलेंडर वर्ष यथानुपात आधार पर, आठ(08) दिनों के अवकाश केलिए पात्र होंगे। परामर्शदाता सहायक को अनुमेय अवकाश की अधिकता में अनुपस्थिति की अवधि केलिए कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा, अनुपयुक्त अवकाश को न अगले वर्ष केलिए अग्रेनीत किया जाएगा, न ही उसका नकदीकरण किया जाएगा।
8. स्रोत पर काटा गया कर (टीडीएस): ग्राह्य के अनुसार, टीडीएस को परामर्शदाता सहायक के मासिक पारिश्रमिक से काट दिया जाएगा। मांग करने पर, बोर्ड द्वारा टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
9. परामर्श की अवधि के दौरान अधिकारी को बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों के सभी महत्वपूर्ण कार्यों में भाग लेना आवश्यक होगा।
10. स्पाइसेस बोर्ड के साथ उनके कार्य की अवधि के दौरान और उसके बाद भी, यह संभावना है कि वे महत्वपूर्ण / गोपनीय प्रकृति की कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे अपने कार्य की अवधि के दौरान उनके द्वारा एकत्रित की गई कोई भी जानकारी किसी ऐसे व्यक्ति से प्रकट नहीं करेंगे, जो उसे

जानने/प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं है।

11. स्पाइसेस बोर्ड, जरूरत पड़ने पर, कोई नोटिस जारी किए बिना या कोई कारण बताए बिना, चयन प्रक्रिया को संशोधित / परिवर्तित / प्रतिबंधित / बढ़ाने / रद्द करने का अधिकार रखता है। बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और इस मुद्दे के खिलाफ किसी भी अपील पर विचार नहीं किया जाएगा।

काम में लगाने के कार्य की समाप्ति

स्पाइसेस बोर्ड निम्नलिखित शर्तों पर परामर्शदाता सहायक को काम में लगाने का कार्य समाप्त करेगा :

(i) परामर्शदाता सहायक निर्दिष्ट कार्य करने में असमर्थ है;

(ii) कार्य की गुणवत्ता, बोर्ड की संतुष्टि के बराबर नहीं है।

(iii) बोर्ड द्वारा तय किए गए अनुसार लक्ष्यों की समय पर प्राप्ति में परामर्शदाता सहायक असफल रहता है;

(iv) परामर्शदाता सहायक में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की कमी पाई जाती है।

नोट: बोर्ड, परामर्शदाता सहायक को पंद्रह(15) दिनों की लिखित सूचना प्रदान करते हुए नियुक्ति समाप्त करने का अधिकार रखता है। यह समाप्ति, ऐसी सूचना की सुपुर्दगी के पंद्रह (15) दिनों के पूरा होने के बाद ठीक अगले दिन से प्रभावी होगी।